

HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Civil Miscellaneous Appeal No. 1120/2026

URN: CMA / 2251U / 2026

1. Lata Adiwasi W/o Late Sukhram Adiwasi, Aged About 27 Years
2. Saloni Adiwasi D/o Late Sukhram Adiwasi, Aged About 9 Years
3. Arpit S/o Late Sukhram Adiwasi, Aged About 8 Years
4. Prashant S/o Late Sukhram Adiwasi, Aged About 7 Years
Claimant No. 2 To 4 Minor Through Guardian Mother Late
W/o Late Sukhram Adiwasi
5. Nithiya Bai Adiwasi W/o Mukhi, Aged About 60 Years
All Above Are R/o Lakheri Tehsil Pohri, District Shivpuri,
Madhya Pradesh

----Appellants/Claimants

Versus

1. Dharamraj Jangid S/o Jagdish Jangid, R/o Khandar, Tehsil Khandar, District Sawai Madhopur (Registered Owner Of Vehicle Pickup No. RJ-25-GA-4405)
2. Raheja QBE General Insurance Comapny Limited, Office 3rd Floor 312, Corporate Park, Ajmer Road, Gopal Badi, Jaipur
(Insurer Of Pickup No. RJ-25-GA-4405)
3. Hansraj S/o Phoolchand Gurjar, R/o Kanwarpura, Thana Indragarh, District Bundi
(Driver Of Vehicle Pickup No. RJ-25-GA-4405)

----Respondents/Non-Claimants

For Appellant(s)	:	Mr. Praveen Kumar Jain, Adv. Mr. Avinash Dhanju, Adv. Mr. Bhadar Singh, Adv.
For Respondent(s)	:	Mr. Virendra Agrawal, Adv.

HON'BLE MR. JUSTICE ASHUTOSH KUMAR

Judgment

08/07/2026

1. अपीलार्थीगण की ओर से प्रस्तुत अपील धारा-173 मोटर वाहन अधिनियम-1988 के तहत न्यायालय मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, सवाई माधोपुर (राज.) (जिसे आगे 'विद्वान अधिकरण' के नाम से संबोधित किया

जाएगा) द्वारा क्लेम याचिका संख्या-75/2025, बउनवान लता आदिवासी व अन्य बनाम धर्मराज जांगिड व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 06.12.2025 (जिसे आगे 'आक्षेपित निर्णय' के नाम से संबोधित किया जाएगा) के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है।

2. अपीलार्थीगण द्वारा मोटर वाहन दुर्घटना में सुखराम आदिवासी की मृत्यु हो जाने के फलस्वरूप कुल 1,88,00,000/- रुपये क्लेम प्राप्त करने हेतु क्लेम याचिका विद्वान अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत की गयी थी। विद्वान अधिकरण द्वारा उक्त क्लेम याचिका का निस्तारण करते हुए याचीगण को कुल 18,02,222/- रुपये की क्षतिपूर्ति राशि मय ब्याज 06 प्रतिशत सालाना की दर से दिलवाई गयी है। विद्वान अधिकरण के उक्त आक्षेपित निर्णय से व्यथित होकर हस्तगत अपील, अपीलार्थीगण द्वारा क्षतिपूर्ति राशि में बढ़ोतरी किये जाने हेतु प्रस्तुत की गयी है।

3. दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थीगण का तर्क रहा है कि विद्वान अधिकरण द्वारा मृतक की आय की गणना 26 दिवस की मजदूरी के आधार पर करते हुए 7,410/- रुपये प्रतिमाह निर्धारित की जाकर त्रुटि कारित की गयी है, जबकि मृतक की आय की गणना 30 दिवस की मजदूरी के आधार पर की जानी चाहिए थी। वक्त घटना मृतक मजदूरी का कार्य कर 25,000/- रुपये की आय अर्जित करता था, किन्तु विद्वान अधिकरण द्वारा उक्त तथ्य पर कोई गौर नहीं किया गया। विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थीगण का यह भी तर्क रहा है कि विद्वान अधिकरण द्वारा कंसोर्टियम की मद में तथा अन्य मदों में अत्यंत कम राशि दिलवाई गयी है, जिनमें बढ़ोतरी की जावे। अतः अपीलार्थीगण की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाकर क्षतिपूर्ति राशि में बढ़ोतरी किये जाने की प्रार्थना की गयी।

4. इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता प्रत्यर्थी बीमा कम्पनी की ओर से अपीलार्थीगण के उपरोक्त तर्कों का विरोध करते हुए विद्वान अधिकरण द्वारा पारित किये गये निर्णय की पुष्टि किये जाने तथा अपीलार्थीगण की ओर से संस्थित की गयी अपील को निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया।

5. दोनों पक्षों को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

6. पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि मामले की घटना दिनांक 17.12.2024 की बताई गयी है तथा वक्त घटना मृतक को मजदूरी का कार्य कर प्रतिमाह 25,000/- रुपये की आय अर्जित करना अवश्य बताया गया है, किन्तु मृतक की आय के संबंध में अपीलार्थीगण की ओर से कोई ठोस साक्ष्य विद्वान अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत नहीं की गयी है। विद्वान अधिकरण द्वारा वक्त घटना मृतक को अकुशल श्रमिक की श्रेणी में रखा जाकर तत्समय प्रचलित न्यूनतम मजदूरी के आधार पर उसकी मासिक आय की गणना 26 दिवस की मजदूरी के आधार पर करते हुए 7,410/- रुपये प्रतिमाह निर्धारित की गयी है, जबकि मृतक की मासिक आय की गणना 30 दिवस की मजदूरी के आधार पर की जानी चाहिए थी। घटना दिनांक 17.12.2024 की बताई गई है। श्रम विभाग द्वारा वर्ष 2024 में न्यूनतम मजदूरी की कोई दर राजस्थान राज्य में निर्धारित नहीं की गई है। वर्ष 2021 के पश्चात् 2023 में न्यूनतम मजदूरी की दरों में वृद्धि की गई है। वर्ष 2023 में अकुशल श्रमिक की दैनिक आय 285/- रुपये थी। ऐसी स्थिति में हम, घटना की तिथि को दृष्टिगत रखते हुए वक्त घटना मृतक को अकुशल श्रमिक की श्रेणी में रखा जाकर उसकी दैनिक आय 300/- रुपये, तदनुसार **मासिक आय 300 x 30 = 9,000/- रुपये** निर्धारित किया जाना उचित समझते हैं। क्लेम याचिका में वक्त घटना मृतक को 29 वर्ष आयु का होना बताया गया है तथा विद्वान अधिकरण ने मृतक के आधार कार्ड में अंकित जन्मतिथि 01.01.1995 के अनुसार वक्त घटना मृतक की आयु 29 वर्ष 11 माह होने के तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए वक्त घटना मृतक की आयु 30 वर्ष निर्धारित की है। चूंकि वक्त घटना मृतक 30 वर्ष आयु का स्वनियोजित व्यवसायी था। ऐसी स्थिति में **नेशनल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड बनाम प्रणय सेठी व अन्य रिपोर्टेड इन (2017) 16 एस.सी.सी. 680** के मामले में प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार मृतक की आयु को दृष्टिगत रखते हुए मृतक की निर्धारित मासिक आय 9,000/- रुपये पर भविष्य की प्रत्याशा की मद में 40 प्रतिशत अर्थात् 3,600/- रुपये की बढ़ोतरी करते हुए मृतक की कुल मासिक आय 12,600/- रुपये निर्धारित की जाती है, जो क्षतिपूर्ति के निर्धारण का आधार रहेगी।

7. वक्त घटना मृतक पर कुल पांच आश्रित बताए गये हैं। विद्वान अधिकरण द्वारा वक्त घटना मृतक पर आश्रितों की संख्या को दृष्टिगत रखते हुए मृतक के व्यक्तिगत खर्च की कटौती के मद में $1/4$ भाग की कटौती की गई है, जो उचित प्रतीत होती है। तदनुसार 12,600/- रुपये का $1/4$ भाग 3,150/- रुपये होता है, जिसे निर्धारित मासिक आय में से घटाने के उपरांत आश्रित आय की शेष राशि 9,450/- रुपये होती है। वक्त घटना मृतक की आयु 30 वर्ष निर्धारित की गयी है। ऐसी स्थिति में **सरला वर्मा व अन्य बनाम देहली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन व अन्य रिपोर्टेड इन (2009) 6 एस.सी.सी. 121** तथा **प्रणय सेठी (उपरोक्त)** के मामले में प्रतिपादित सिद्धान्त के आधार पर मृतक की आयु को दृष्टिगत रखते हुए 17 का गुणक लगाया जाना अपेक्षित है।
8. तदनुसार मृतक की निर्धारित आश्रित आय 9,450/- रुपये के आधार पर अपीलार्थीगण को होने वाली आश्रित आय की **कुल क्षति $9,450 \times 12 \times 17 = 19,27,800/-$ रुपये** होती है, जो अपीलार्थीगण प्राप्त करने के अधिकारी हैं।
9. विद्वान अधिकरण द्वारा मृतक के प्रत्येक आश्रित को 40,000/- रुपये, इस प्रकार कुल 2,00,000/- रुपये की राशि कंसोर्टियम की मद में दिलवाई गई है, जो कम है। माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत **प्रणय सेठी (उपरोक्त) व यूनाईटेड इण्डिया इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड बनाम सतिन्दर कौर उर्फ सतविन्दर कौर व अन्य रिपोर्टेड इन (2021) 11 एससीसी 780** व अन्य न्यायिक दृष्टांत **मेगमा जनरल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड बनाम नानू राम उर्फ चुहुरू राम व अन्य रिपोर्टेड इन (2018) 18 एससीसी 130** के मामलों में प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार प्रत्येक आश्रित को 40,000/- रुपये कंसोर्टियम की मद में दिलवाये जाने का सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है। साथ ही **प्रणय सेठी (उपरोक्त)** के मामले में मृतक के आश्रितगण को कंसोर्टियम की मद में दी जाने वाली राशि में प्रत्येक तीन वर्ष में 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी किये जाने का सिद्धान्त भी प्रतिपादित किया गया है।
10. हस्तगत मामले की घटना वर्ष 2024 की बताई गयी है। ऐसी स्थिति यह न्यायालय, माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत **प्रणय सेठी**

(उपरोक्त), सतिन्दर कौर उर्फ सतविन्दर कौर (उपरोक्त) व नानू राम उर्फ चुहलू राम (उपरोक्त) के मामलों में प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार घटना की तिथि को दृष्टिगत रखते हुए, मृतक की पत्नी अपीलार्थी संख्या-1 को “स्पाउस कंसोर्टियम” की मद में 48,000 /— रुपये तथा मृतक बच्चों अपीलार्थी संख्या-2 लगायत 4 को “पैरेण्टल कंसोर्टियम” की मद में प्रत्येक को 48,000 /— रुपये तथा मृतक की माता अपीलार्थी संख्या-5 को “फिलियल कंसोर्टियम” की मद में 48,000 /— रुपये (कुल 2,40,000 /— रुपये) की राशि अपीलार्थीगण को दिलवाया जाना उचित समझते हैं।

11. विद्वान अधिकरण द्वारा अपीलार्थीगण को अंतिम संस्कार की मद में 15,000 /— रुपये की राशि दिलवाई गई है, जो कम है। अतः उपरोक्त मद में हम, प्रणय सेठी (उपरोक्त) के मामले में प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार देय निर्धारित राशि पर बढ़ोतरी करते हुए 18,000 /— रुपये की राशि अपीलार्थीगण को दिलवाया जाना उचित समझते हैं।

12. विद्वान अधिकरण द्वारा सम्पदा की हानि के मद कोई राशि अपीलार्थीगण को नहीं दिलवाई गई है। अतः उपरोक्त मद में हम, प्रणय सेठी (उपरोक्त) के मामले में प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार देय निर्धारित राशि पर बढ़ोतरी करते हुए 18,000 /— रुपये की राशि अपीलार्थीगण को दिलवाया जाना उचित समझते हैं।

13. उक्तानुसार अपीलार्थीगण / क्लेमेंट्स निम्न प्रकार से क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त करने के अधिकारी हैं :-

क्रम सं.	शीर्ष / मद	इस निर्णय के तहत निर्धारित की गयी राशि (रुपये में)
1.	आश्रित आय की क्षति के मद में	19,27,800 /—
2.	कंसोर्टियम के मद में	कुल 2,40,000 /—
3.	अंतिम संस्कार के मद में	18,000 /—
4.	सम्पदा की हानि के मद में	18,000 /—
इस न्यायालय द्वारा निर्धारित की गई कुल क्षतिपूर्ति राशि		22,03,800 /—
विद्वान अधिकरण द्वारा दिलवाई गई क्षतिपूर्ति राशि (—)		18,02,222 /—
बढ़ोतरी पश्चात क्षतिपूर्ति राशि में अंतर		4,01,578 /—

14. तदनुसार अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत यह अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर विद्वान अधिकरण द्वारा पारित पंचाट, जिसके द्वारा

अपीलार्थीगण/क्लेमेंट्स को **18,02,222 /— रुपये** दिलवाये जाने का आदेश पारित किया गया है, के स्थान पर **22,03,800 /— रुपये** का पंचाट पारित किया जाता है। अपीलार्थीगण को देय क्षतिपूर्ति राशि पर नियमानुसार आयकर कटौती की जाएगी। अपीलार्थीगण द्वारा पूर्व में प्राप्त की गयी राशि को पंचाट राशि में से समायोजित किया जाकर शेष राशि अपीलार्थीगण प्राप्त करने के अधिकारी पाये जाते हैं।

15. इस निर्णय द्वारा बढ़ाई गई क्षतिपूर्ति राशि पर याचिका दायर करने की तिथि से अपीलार्थीगण, 08 प्रतिशत वार्षिक ब्याज प्राप्त करने के अधिकारी हैं।

16. तदनुसार यह अपील निस्तारित की जाती है।

17. सभी लम्बित प्रार्थना-पत्रों को भी उपरोक्तानुसार निस्तारित किया जाता है।

(ASHUTOSH KUMAR),J